(3)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 25/2022
GCMS CASE NO-2022/25

1. रामचन्द्र पुत्र श्री मनीराम जाति नाई निवासी सरदारपुरा लाडाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

......प्रार्थी

बनाम

1. मु. गौरां देवी पत्नी श्री शान्तीराम जाति नाई निवासी सरदारपुरा लाडाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

........अप्रार्थीगण

उपस्थितिः–
1. श्री राकेश सारस्वत वकील प्रार्थी
2. श्री कमलदत्तशर्मा वकील अप्रार्थी
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

निर्णय — दिनांक 15.07.2024

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है।

1. यह कि अप्रार्थीया मु. गौरां देवी पत्नी श्री शान्तीराम जाति नाई निवासी सरदारपुरा लाडाना तहसील सूरतगढ़ के नाम रोही सरदारपुरा लाडाना का ख.न. 321/2 में 0.543 है. ख.न. 321/3 में 3.542 है. व ख.न. 341/1 में 2.923 है. कुल 7.008 है. बारानी भूमि अर्थात 27.14 बीघा दर्ज है जो कि पूर्व में उसके पति के नाम आवंटन मानकर की थी।
2. यह कि टी.सी. पर आवंटित भूमि का प्रतिवर्ष नवीनीकरण का प्रावधान है, बरवक्त नवीनीकरण मौका की पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात ही नवीनीकरण किया जाता है, पटवारी हल्का द्वारा रोही सरदारपुरा लाडाना का ख.न. 321/2 में 0.543 है. ख.न. 321/3 में 3.542 है. व ख.न. 341/1 में 2.923 है. कुल 7.008 है. बारानी भूमि अर्थात 27.14 बीघा बारानी भूमि पर आवंटी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है व रकम कायम होकर नवीनीकरण लगातार हो रहा है कि रिपोर्ट की गई जबकि मौका पर रोही सरदारपुरा लाडाना के ख.न. 321/3 की 14.00 बीघा भूमि पर अप्रार्थीया का कतई कब्जा काश्त ना होकर प्रार्थी का सन् 1983 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। नकल नोटिस धारा 22 तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ वर्ष 1983, 1993, 1994, 2011 की चित्र प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र के है।
3. यह कि अप्रार्थी के पति शांतिराम पुत्र श्री रामरख जाति नाई निवासी सरदारपुरा लाड़ाना द्वारा टी.सी से पुख्ता आवंटन कराने की बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें शांतिराम द्वारा स्वयं को 12.00 बीघा भूमि अस्थाई काश्त पर आवंटन होना दर्शाया है व शांतिराम के देहान्त के पश्चात अप्रार्थीया द्वारा पुनः एक नवीन प्रार्थना पत्र टी.सी. पुख्ता का दिनांक 01.1997 को आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर अपने पति शांतिराम के नाम चली आ रही भूमि रोही सरदारपुरा का ख.न. 341/3 की 24.00 बीघा अस्थाई भूमि पर पुख्ता अलोट पति की मृत्यु के पश्चात स्वयं के नाम कराने की मांग की गई है। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका एवं बिना रिकॉर्ड की जॉच किये अप्रार्थीया को फायदा पहुँचाने की गरज से एक तरफ ख.न. 341/3 की बजाय भिन्न खसराजात् की भूमि धारण की रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

पेश कर अप्रार्थीया को पुख्ता किये जाने की रिपोर्ट की गई है व दूसरी तरफ प्रश्नोत्तरी में ख.न. 341 में 33.00 बीघा के कब्जा काश्त की रिपोर्ट अप्रार्थीया के हक में बता रहा है जो कि परस्पर विरोधाभासी रिपोर्ट है जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

4. यह कि अप्रार्थीया ख.न. 341/3 की 24.00 बीघा भूमि टी.सी. से पुख्ता कराने की हकदार थी शेष खसराजात की भूमि पर न तो स्व. शांतिराम को अस्थाई काश्त पर आवंटन हुई थी व ना ही अप्रार्थीया को आवंटन हुई थी व ना ही कभी रकम जमा हुई एव ना ही कभी नवीनीकरण हुआ। बरवक्त पुख्ता आवंटन सलाहकार कमेटी में पत्रावली पेशी में आयी तो मात्र पटवारी द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीया के धारण के ख.न. 341/3 के बजाय रोही सरदारपुरा लाडाना का ख.न. 321/2 में 0.543 है. ख.न. 321/3 में 3.542 है. व ख.न. 341/1 में 2.923 है. कुल 7.008 है. बारानी भूमि अर्थात 27.14 बीघा बारानी भूमि जरिये मिसल संख्या 651/2007 निर्णय दिनांक 04.06.2007 को पुख्ता अलोट कर दी गई जो कि नकल आवंटन आदेश से साबित है जो कि पूर्णतया अवैधानिक है।

5. यह कि वर्ष 2008 में जैर प्रार्थना पत्र रकबा उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर घोषित कर दिया गया जिस पर आवंटन नियम 1970 के नियम लागू हो गये एवं अप्रार्थीया द्वारा नियम 1970 के तहत खातेदारी प्राप्त करने हेतू आवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीया द्वारा दिये गये प्रलोभन में आकर बिना मौका देखे एवं मौका पर काबिज काश्तकार की वास्तविकता को छिपाते हुए गलत रिपोर्ट की गई जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार आवंटन नियम 1970 के नियम 18 परन्तुक (ii) के तहत रोही सरदारपुरा लाडाना का ख.न. 321/2 में 0.543 है. ख.न. 321/3 में 3.542 है. व ख.न. 341/1 में 2.923 है. कुल 7.008 है. बारानी भूमि अर्थात 27.14 बीघा बारानी भूमिके खातेदारी अधिकार श्रीमान तहसीलदार द्वारा दिनांक 31.07.2008 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये, जो कि मौका व वास्तविकता के खिलाफ है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि अप्रार्थीया द्वारा भूमि पुख्ता आवंटन कराने का प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक 30.01.1997 को प्रस्तुत कर निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का गिरदावर द्वारा बिना मौका की जॉच किये वा कागजात का अवलोकन किये अप्रार्थीया के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जबकि मौका पर ख.न. 321/3 में प्रार्थी का कब्जा काश्त था तो ऐसी सूरत में अप्रार्थीया का कब्जा कैसे सही था पूर्णतया गलत रिपोर्ट/बयानी की गई है। मॉग से भिन्न खसराजात पर कब्जा बताना अपने आप में विधि विरूद्ध है, प्रार्थना पत्र पुख्ता आवंटन निरस्त फरमाया जाना चाहिये था व खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं करने चाहिये थे। अप्रार्थीया द्वारा सरकारी मशीनरी से मिलकर अनुचित लाभ उठाने के लिए खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है जो कि निरस्ती योग्य है।

7. यह कि अप्रार्थीया द्वारा सरकारी मशीनरी से मिलकर अच्छी व उपजाउ भूमि को हथियाने की गरज से मिली भगत कर रोही सरदारपुरा लाडाना का ख.न. 321/2 में 0.543 है. ख.न. 321/3 में 3.542 है. व ख.न. 341/1 में 2.923 है. कुल 7.008 है. बारानी भूमि अर्थात 27.14 बीघा बारानी भूमि का आवंटन आदेश विधि विरूद्ध दिनांक 04.06.2007 को हासिल किया गया है जो शुरू से शून्य होने के कारण खारिज किये जाने के योग्य है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थीया मु. गौरां देवी पत्नी श्री शान्तीराम जाति नाई निवासी सरदारपुरा लाडाना तहसील सूरतगढ़ के नाम रोही सरदारपुरा लाडाना का ख.न. 321/2 में 0.543 है. ख.न. 321/3 में 3.542 है. व ख.न. 341/1 में 2.923 है. कुल 7.0[illegible] भूमि अर्थात 27.14 बीघा दर्ज है जो कि पूर्व में उसके [illegible] की थी। टी.सी. पर आवंटित भूमि का प्रतिवर्ष नवीनीकरण का प्रावधान है, [illegible] नवीनीकरण मौका की पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात ही नवीनीकरण किया जाता है, पटवारी हल्का द्वारा रोही सरदारपुरा लाडाना का ख.न. 321/2 में 0.543 है. ख.न. 321/3 में 3.542 है. व ख.न. 341/1 में 2.923 है. कुल 7.008 है. बारानी भूमि अर्थात 27.14 बीघा बारानी भूमि पर आवंटी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है व रकम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

कायम होकर नवीनीकरण लगातार हो रहा है कि रिपोर्ट की गई जबकि मौका पर रोही सरदारपुरा लाडाना के ख.न. 321/3 की 14.00 बीघा भूमि पर अप्रार्थीया का कतई कब्जा काश्त ना होकर प्रार्थी का सन् 1983 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। नकल नोटिस धारा 22 तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ वर्ष 1983, 1993, 1994, 2011 की चित्र प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र के है। अप्रार्थी के पति शांतिराम पुत्र श्री रामरख जाति नाई निवासी सरदारपुरा लाड़ाना द्वारा टी.सी से पुख्ता आवंटन करवाने की बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें शांतिराम द्वारा स्वयं को 12.00 बीघा भूमि अस्थाई काश्त पर आवंटन होना दर्शाया है व शांतिराम के देहान्त के पश्चात अप्रार्थीया द्वारा पुनः एक नवीन प्रार्थना पत्र टी.सी. पुख्ता का दिनांक 30.01.1997 को आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर अपने पति शांतिराम के नाम चली आ रही भूमि रोही सरदारपुरा लाडाना का ख.न. 341/3 की 24.00 बीघा अस्थाई काश्त पर पुख्ता अलोट पति के देहान्त के पश्चात स्वयं के नाम कराने की मांग की गई है। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका एवं बिना रिकॉर्ड की जॉच किये अप्रार्थीया को फायदा पहुँचाने की गरज से एक तरफ ख.न. 341/3 की बजाय भिन्न खसराजात् की भूमि धारण की रिपोर्ट पेश कर अप्रार्थीया को पुख्ता किये जाने की रिपोर्ट की गई है व दूसरी तरफ प्रश्नोत्तरी में ख.न. 341 में 33.00 बीघा के कब्जा काश्त की रिपोर्ट अप्रार्थीया के हक में बता रहा है जो कि परस्पर विरोधाभासी रिपोर्ट है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। अप्रार्थीया को ख.न. 341/3 की 24.00 बीघा भूमि टी.सी. से पुख्ता कराने की हकदार थी शेष खसराजात की भूमि पर न तो स्व. शांतिराम को अस्थाई काश्त पर आवंटन हुई थी व ना ही अप्रार्थीया को आवंटन हुई थी व ना ही कभी रकम जमा हुई एव ना ही कभी नवीनीकरण हुआ। बरवक्त पुख्ता आवंटन सलाहकार कमेटी में पत्रावली पेशी में आयी तो मात्र पटवारी द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीया के धारण के ख.न. 341/3 के बजाय रोही सरदारपुरा लाडाना का ख.न. 321/2 में 0.543 है. ख.न. 321/3 में 3.542 है. व ख.न. 341/1 में 2.923 है. कुल 7.008 है. बारानी भूमि अर्थात 27.14 बीघा बारानी भूमि जरिये मिसल संख्या 651/2007 निर्णय दिनांक 04.06.2007 को पुख्ता अलोट कर दी गई जो कि नकल आवंटन आदेश से साबित है जो कि पूर्णतया अवैधानिक है। वर्ष 2008 में जैर प्रार्थना पत्र रकबा उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर घोषित कर दिया गया जिस पर आवंटन नियम 1970 के नियम लागू हो गये एवं अप्रार्थीया द्वारा नियम 1970 के तहत खातेदारी प्राप्त करने हेतू आवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीया द्वारा दिये गये प्रलोभन में आकर बिना मौका देखे एवं मौका पर काबिज काश्तकार की वास्तविकता को छिपाते हुए गलत रिपोर्ट की गई जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार आवंटन नियम 1970 के नियम 18 परन्तुक (ii) के तहत रोही सरदारपुरा लाडाना का ख.न. 321/2 में 0.543 है. ख.न. 321/3 में 3.542 है. व ख. न. 341/1 में 2.923 है. कुल 7.008 है. बारानी भूमि अर्थात 27.14 बीघा बारानी भूमिके खातेदारी अधिकार श्रीमान तहसीलदार द्वारा दिनांक 31.07.2008 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये, जो कि मौका व वास्तविकता के खिलाफ है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीया द्वारा भूमि पुख्ता आवंटन कराने का प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक 30.01.1997 को प्रस्तुत कर निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का गिरदावर द्वारा बिना मौका की जॉच किये वा कागजात का अवलोकन किये अप्रार्थीया के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जबकि मौका पर ख.न. 321/3 में प्रार्थी का कब्जा काश्त था तो ऐसी सूरत में अप्रार्थीया का कब्जा कैसे सही था पूर्णतया गलत रिपोर्ट/बयानी की गई है। मॉग से भिन्न खसराजात पर कब्जा बताना अपने आप में [illegible] है, प्रार्थना पत्र पुख्ता आवंटन निरस्त फरमाया जाना चाहिये था व खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं करने चाहिये थे। अप्रार्थीया द्वारा सरकारी मशीनरी से मिलकर अनुचित लाभ उठाने के लिए खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है जो कि निरस्ती योग्य है। अप्रार्थीया द्वारा सरकारी मशीनरी से मिलकर अच्छी व उपजाऊ भूमि को हथियाने की गरज से मिली भगत कर रोही सरदारपुरा लाडाना का ख.न. 321/2 में 0.543 है. ख.न. 321/3 में 3.542 है. व ख.न. 341/1 में 2.923 है. कुल 7.008 है. बारानी भूमि अर्थात 27.14 बीघा बारानी भूमि का आवंटन आदेश विधि विरूद्ध दिनांक 04.06.2007 को हासिल किया गया है जो शुरू से शून्य होने के कारण खारिज किये जाने के योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति की राय पर आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को कब्जानुसार आवंटन किया गया है जो सही है। खातेदारी जारी होने के बाद आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की कार्यवाही नहीं की जा सकती है इसलिए प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है।

राजपैरोकार द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि नियमानुसार पूर्ण जांच करवाई जाकर राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 परंतुक।। के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है जो सही है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय पर टीसी पुख्ता मि.न. 651/2007 निर्णय दिनांक 04.06.2007 द्वारा चक सरदारपुरा लाडाना के ख.न. 321/2 में 2.03, 321/3 में 14.00 बीघा, 341/1 में 11.11 बीघा कुल 27.14 बीघा बारानी भूमि वर्तमान आरक्षित मूल्य पर पुख्ता आवंटन की गई थी। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा नियमानुसार जांच कर राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 परंतुक।। के तहत दिनांक 04.06.2007 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है शिकायत प्रार्थना पत्र निराधार होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय दिनांक 04.06.2007 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे पत्रावली मिसल फैंसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 15/12/24

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला-श्रीगंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला-श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner